

Seventeenth Loksabha

>

Title: Introduction of the taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Bill, 2020.

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, with your permission, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for relaxation and amendment of provisions of certain Acts and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

“कि कतिपय अधिनियमों के उपबंधों पर और छूट देने और उनका संशोधन करने वाले तथा उससे संसक्त तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापति करने की अनुमति दी जाए।”

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I wish to oppose the introduction of this Bill under Rule 72 of the Rules of Procedure and Conduct of Business on the following four grounds:-

1. Clause 7 of the Bill seeks to amend the central Goods and Services Act of 2017, which would allow the Government to extend the time limit for completion of actions under the Act in events of force majeure, such as epidemic, with retrospective effect. This would permit the Government to retrospectively validate its failure and extend the time-limit indefinitely while disbursing compensation to States. That is an unconstitutional violation with the Government undertakings in the name of 'Act of God'.

2. The Bill brings the PM-CARES Fund within the ambit of the same Clause that now governs the PM's National Relief Fund. If the Government seeks to draw equivalence between the two, then why has the need to institute a new fund arisen? This raises serious questions regarding the intention behind creating a duplicate fund, which has also been exempted from C&AG's audit and for which no reasons have been provided under this Bill.

3. While the Bill seeks to provide the same tax exemptions to the PM-CARES Fund and the PM's National Relief Fund, it draws an arbitrary distinction between the two, as donations of the PM-CARES Fund count towards a company's mandatory CSR contributions, but do not count in case of PM's National Relief Fund. This creates a double benefit of tax exemption for companies' donation to the PM-CARES Fund.

A high-level Committee constituted by the Ministry of Corporate Affairs in 2015 criticised this practice stating that donations to Central Government funds should not be allowed as a CSR contribution since they have already been exempted under the Income Tax.

A second High-level Committee, in its 2019 Report, agreed to this. Therefore, this Bill goes against the spirit of the CSR provision as the companies could be in compliance through a mere donation with no real application towards the betterment of the society.

Finally, the fourth objection is that the Bill continues to extend the benefits provided to tax evaders under the Direct Tax Vivad-se-Vishvas Act...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : श्री ए. एम. आरिफ जी ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जब बिल पर डिटेल् में चर्चा होगी, तब आप कहिएगा ।

DR. SHASHI THAROOR: No, Sir. I am not speaking on the main Bill. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप क्यों बिल का विरोध कर रहे हैं? आप इसका तर्क दीजिए ।

...(व्यवधान)

DR. SHASHI THAROOR : Sir, it promotes arbitrariness and resorts to unreasonable classification. Hence, it is not within the appropriate state to be introduced. It promotes arbitrariness and resorts to unreasonable classification by treating equal entities unequally. Therefore, the Minister should really look into these shortcomings before introducing the Bill.

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Sir, I rise to oppose the introduction of the Bill on the following grounds. The Bill is being introduced at a time when the country is united in its fight against the COVID pandemic. This Bill is part of an attempt by the Central Government to reduce powers of the States. This Bill, with the new amendment, gives income tax deduction to those who contribute to PM CARES Fund and tax deduction not to those who pay in CMDRF ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मिस्टर आरिफ, आपने यह सवाल उठाया है कि यह बिल योग्यता से बाहर है । आप उस विषय पर बोलिए । Okay.

...(व्यवधान)

ADV. A.M. ARIFF: Sir, kindly give me only one more minute to conclude. This Bill, with the new amendment, gives income tax deduction to those who contribute to PM CARES Fund and tax deduction not to those who pay in CMDRF with a political objective of reducing the powers of the States.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, with your kind permission, I do oppose the introduction of the Bill under Rule 72 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

Under Article 266 (2) of the Constitution, public moneys received by or on behalf of the Government of India, which is not on account of revenue from taxes, duties, repayment of loans and the like, should be credited to the public account of India. The salient features of the Bill are very much in conflict with this Article of our Constitution.

Secondly, when an amendment is suggested, it should have a purpose, but this is simply adding PM CARES without any particular statement. Thirdly, why should you bring an amendment in the Act if this is not a public authority? The Government has to make it clear as to who benefits from this action. Fourthly, the Prime Minister, Minister of Defence, Minister of Home Affairs and Minister of Finance are part of the Government of India, which again makes it a public authority. The Government is not giving answer to RTI queries on ground of not being a public authority, and the Government is finding reasons to hide data from public. This is a question of accountability. Hence, I am opposing the introduction of this Bill.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, under Rule 72 (1) of the Rules of Procedure, I beg to oppose the introduction of the Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Bill, 2020.

Other Members have pointed out their objections to various provisions of the Bill. I point out mainly to Section 4 where a particular fund known as the ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, देखिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट। आप पहले नियम 72 को पढ़ लीजिए, ठीक है।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : महोदय, मैंने पढ़ लिया है।

माननीय अध्यक्ष : मैं पढ़ लेता हूँ, ताकि माननीय सदस्यों को यह ध्यान रहे कि नियम 72 क्या है?

प्रो. सौगत राय : आप मेरे पढ़ने के बाद पढ़िए।

माननीय अध्यक्ष : मैं पढ़ता हूँ।

प्रो. सौगत राय: आप पहले पढ़ेंगे। मैं भी पढ़ सकता हूँ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह अधिकार मेरे पास है, इसलिए मैं ही पढ़ूंगा। ठीक है। यह सबको ध्यान रहे कि नियम 72 क्या है? क्यों अधीर रंजन जी, इसका ध्यान रहना चाहिए, नहीं तो आप सदन को कह देंगे कि नियम 72 हमारा अधिकार है। यह आपका अधिकार है, लेकिन अध्यक्ष की परमिशन से। ठीक है न।

“यदि किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाए, तो अगर अध्यक्ष ठीक समझे तो प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य संक्षिप्त वक्तव्य दिए जाने की अनुज्ञा देने के बाद अग्रसर वाद-विवाद के प्रश्न को रखा जा सकेगा।”

इसकी सेकेंड लाइन यह है, “परंतु जब इस आधार पर विरोध किया जाए कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है, जो सभा की विधायनी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष के द्वारा उस पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दी जा सकेगी।”

तीसरा, “परंतु यह भी अध्यक्ष द्वारा वित्त विधेयक या विनियोग विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव तुरंत मतदान के लिए रखा जाएगा।”

क्या मैं आगे और पढ़ दूं? दादा, अब आप बोलिए।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : महोदय, अच्छा हुआ कि आपने कानून के बारे में बता दिया है। इसके बाद जब भी कोई सदस्य किसी बिल के इंट्रोडक्शन का विरोध करेगा, तब उनको यह पता चलेगा कि कैसे इसकी अनुमति मिलती है और कैसे अध्यक्ष पर सब कुछ निर्भर करता है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अध्यक्ष का यह भी दायित्व है कि वह सभी माननीय सदस्यों का संरक्षण करें।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : महोदय, हम सभी का यह फर्ज है कि आपके पद की महिमा को बनाए रखें। आपको जो यह पावर है, आप उसका ठीक से इस्तेमाल करेंगे, यही मेरा इरादा है, मेरी आशा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: महोदय, मुझे बोलने दिया जाए।...(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : महोदय, मैं यही दादा से पूछ रहा हूँ ।...(व्यवधान) आपने तो दादा को बोलने दिया है, आप तो उस अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं ।... (व्यवधान) उनको बोलने का मौका दिया है ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हम सभी का एक ही मत है कि सदन में चाहे सत्ता पक्ष हो या चाहे विपक्ष हो, सदन में सभी की सहमति चले और सभी माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने के लिए पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर मिले, लेकिन सही दिशा की तरफ ।

...(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY: Sir, let me start from the beginning. Under Rule 72(1) of the Rules of Procedures, with your permission, I beg to oppose the introduction of the Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Bill, 2020. Some relaxations have been made in the taxation proposals; some extra time has been given in view of the pandemic. I am not objecting to that. My objection is to Section 4 of the Bill where references are made, “after the “Fund”, the words and brackets “or the Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund (PM CARES FUND)” shall be inserted. This is a totally new concept of money gathering, subscription gathering by the Prime Minister’s Office. The PM already has a National Relief Fund and he also has the Prime Minister’s National Relief Fund for Cancer Treatment. Now, what is the need of this PM CARES Fund? As has been pointed out, there will be no audit by the Comptroller & Auditor General of India into the affairs of the Fund.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस विषय को माननीय शशि थरूर जी ने रख दिया है । उसका रिपीटेशन करने की आवश्यकता नहीं है ।

...(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY: That is why, I propose that this PM CARES Fund must be abolished and all the money, huge sums of money, that has gathered in it, be transferred to the Prime Minister’s National Relief Fund. Whoever wants to be benefited from the Prime

Minister's National Relief Fund, let them apply to the Prime Minister's National Relief Fund, and not to the newly formed entity called the PM CARES Fund. That is why, I oppose the Bill, which includes this 'PM CARES FUND'.

माननीय अध्यक्ष : श्री मनीष तिवारी जी ।

माननीय सदस्य, कोई विशेष विषय हो, तो ही रखिएगा ।

...(व्यवधान)

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Mr. Speaker, Sir, with your kind permission, I metaphorically rise to oppose the introduction of the Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions Act, 2020 on four grounds.

The Bill which is sought to be introduced is not procedural in nature. It makes substantive amendments to eight different Acts, some of which are required to be or should have to be standalone amendments because they end up changing the character of the principal Act itself. By way of example, let me demonstrate. If you look at Clause 4, Sub-Clause 18, of the proposed Bill which is sought to be introduced, it gives faceless jurisdiction to Income-Tax authorities. On the face of it, Mr. Speaker, Sir, this looks to be a benign and an assessee-friendly amendment, but it is riddled with minefields and would fundamentally alter the character of the Income-Tax Act, 1961.

So, therefore, it needed to be brought as a standalone amendment to the Income Tax Act rather than being smuggled in into a law which seeks to really project itself as being procedural.

My second objection, Mr. Speaker, Sir, is with regard to the PM CARES Fund and the objection is different from the ones which have been raised by my hon. colleagues. Since the name of the institution of the Prime Minister is attached to it, would it not have been more appropriate if this Fund were created through legislation rather than as a public trust?

My final objection is to clause 7 that inserts clause 168(a), specifically clause 168(a), sub-clauses 1 and 2 that allow force majeure to be operationalised retrospectively. In fact, this is a very convenient way that the Government has found in order to wriggle out of its obligation to pay GST compensation to the States which is long overdue.

So, therefore, Mr. Speaker, Sir, on these three substantive grounds, with your permission, I oppose the introduction of this Bill.

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, क्या आप कुछ विषय रखना चाहेंगी?

श्रीमती निर्मला सीतारमण: सर, अगर आप अनुमति दें तो I can give some explanation.

माननीय अध्यक्ष: अनुमति है ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण: सर, मेरा पहला जवाब है, I have a feeling that there is definitely a misunderstanding. यह फोर्स मेजर क्लॉज़ का उपयोग करते हुए हम किसी राज्य के अधिकार को छीन नहीं रहे हैं । अपनी जिम्मेदारी को निभाने से दूर नहीं हो रहे हैं । Nor are we running away from our responsibility. इसीलिए इधर फोर्स मेजर लगा कर, in retrospect, राज्यों को जो देना है, उससे आप भाग रहे हैं, यह आर्ग्यूमेंट एकदम गलत है । राज्यों को जो पैसा देना है, हम उसको नहीं देंगे, हमने ऐसा बयान कहीं नहीं दिया और हमारा ऑब्जेक्ट भी वह नहीं है । इसीलिए वह आर्ग्यूमेंट इधर डाल कर, राज्यों को जो देना है, वह आप नहीं देंगे,

ऐसे आरोप लगाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रधान मंत्री सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनको मालूम है कि राज्य सरकारों की दिक्कत क्या है। राज्यों को समय पर पैसा मिलना कितना आवश्यक है, हमें बार-बार प्रधान मंत्री जी से एडवाइज़ भी मिलती है। इसीलिए इसको डिस्टॉर्ट, क्षमा कीजिए, मैं डिस्टॉर्ट का शब्द उपयोग कर रही हूँ, मगर मैं एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, डिस्टॉर्ट कर रही हूँ, मगर इसका ऐसे इंटरप्रेट करना आवश्यक नहीं है, हम किसी राज्य के अधिकार को छीन नहीं रहे हैं और उनका पैसा जो देना है, वह बिल्कुल देंगे। So, this is about 'Force Majeure' and also, माननीय शशि थरूर जी बोलते हैं – Section 168A of the CGST Act, आपको सिर्फ यह प्रोवाइड करता है कि That on the recommendation of the GST Council आप कर सकते हो, मगर सरकार खुद कुछ नहीं कर सकती है, जीएसटी काउंसिल की रिक्मेंडेशन है। सर, हम बिल्कुल इसको मानते हैं। हम इससे ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, जिसको आप कहें कि जीएसटी काउंसिल का हम वॉयलेट कर रहे हैं, बायपास कर रहे हैं। However, GST Council और सीजीएसटी एक्ट के द्वारा इस बिल में जो हम कर रहे हैं, टैक्स पेमेंट, टैक्स फाइलिंग और टैक्स रिटर्न्स के ऊपर ही हमारे जो भी अमेंडमेंट्स हैं, उसके इंटेन्शंस हैं। इसीलिए टैक्स पेमेंट, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स वगैरह बिल्कुल केन्द्र सरकार की परिधि में है। It is within the limits of the Central Government's terrain. So, it is relevant to know that tax payment, tax filing and filing of returns etc. were excluded from the purview of the relevant notifications issued in the exercise of powers under this Section.

इसलिए कंप्यूज रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर मैं पीएम केयर्स के ऊपर जाने से पहले विवाद से विश्वास के ऊपर ऑब्जेक्शन, ऑब्जर्वेशन हुआ। विवाद से विश्वास एमनेस्टी स्कीम नहीं है। उसको बार-बार उस नजरिये से देखना सही नहीं है। Vivad se Vishwas Scheme does not extend any benefit to dishonest tax evaders. इसलिए वह एमनेस्टी की स्कीम नहीं है। यह डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन स्कीम है। लिटिगेशन बहुत सालों से पड़ा हुआ है, उसको सुलझाने का कुछ तरीका नहीं है, है तो उसमें समय लगता है। इसलिए डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन के लिए हम विवाद से विश्वास स्कीम ले आए। इसके द्वारा लिटिगेशन कम करने के लिए रास्ता हम ढूँढ रहे हैं, इसलिए इसको एमनेस्टी के रास्ते पर चलते हुए इसमें ऑब्जेक्शन रोज करना नेसेसरी नहीं है।

सर, पीएम केयर्स रिलेटेड इश्यू में मैं एमओएस अनुराग ठाकुर जी को बोलती हूँ कि वह जरा एक्सप्लेन करें, अगर आपकी अनुमति हो।

माननीय अध्यक्ष : आपने तो पहले ही उनको डायरेक्शन दे दी। आपने अनुमति बाद में मांगी है।

श्रीमती निर्मला सीतारमण : क्षमा कीजिए। मैंने सोचा कि मिनिस्ट्री का जवाब देना है, मैं एमओएस को रिक्वेस्ट कर सकती हूँ।

माननीय अध्यक्ष : वह जवाब दे सकते हैं, उसमें अनुमति मांगने की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती निर्मला सीतारमण : थैंक यू सर। मैं आपसे अनुमति मांग रही हूँ।

माननीय अध्यक्ष : अनुमति मांगने की आवश्यकता नहीं है, वह जवाब दे सकते हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर): अध्यक्ष महोदय, यहां पर कुछ विपक्ष के साथियों ने पीएम केयर्स पर प्रश्न उठाने का प्रयास किया है। यह अभी नहीं, इससे पहले भी जब से इसकी स्थापना हुई है, उस दिन से लेकर आज तक इसका विरोध करते आ रहे हैं। लेकिन विरोध के पीछे तर्क तो हो, केवल कहने के लिए विरोध करना, जैसे यह ईवीएम खराब है, चुनाव के समय विरोध करते थे, लेकिन एक बार नहीं, कई बार चुनाव हारे। फिर कहा- जनधन खराब है। फिर कहा- डिमोनेटाइजेशन खराब है। फिर कहा- ट्रिपल तलाक खराब है।... (व्यवधान) फिर कहा- जीएसटी खराब है। फिर कहा- तीन तलाक खराब है। आपको तो हर चीज में खराबी नजर आती है। सच्चाई यह है कि आपकी नीयत खराब है।... (व्यवधान) नीयत और सोच खराब होने के कारण आप एक अच्छे कदम को भी खराब नजरिये से देख रहे हैं।... (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, पीएम केयर्स खराब क्यों है, क्या गलती है? एक नहीं, कई बार आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए, कई विषयों को लेकर, लेकिन अंत में उसका नतीजा क्या निकला? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने हर कदम पर, हर कोर्ट ने पीएम केयर्स के पक्ष में अपना निर्णय दिया, इनके हित में नहीं दिया है। आखिर इन्होंने क्या-क्या चुनौतियाँ दीं, इन्होंने तो इसको सेट-अप करने के लिए कि आपने बनाया ही गलत है, आपने उसको चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया।... (व्यवधान) संवैधानिक रूप से उसको वैध बताया गया।

सर, यही नहीं, ये अप्रैल महीने में चले गए थे। मार्च में बना और अप्रैल महीने में उसके विरोध में चले गए। देश कोरोना महामारी से लड़ने के लिए तैयारी कर रहा था, प्रधानमंत्री जी कदम उठा रहे थे, लेकिन ये उस समय भी राजनीति कर रहे थे, ये लोग विपक्ष का काम कर रहे थे।... (व्यवधान) सर, जून, 2020 में इन्होंने कहा कि इसको आरटीआई के अंतर्गत देना चाहिए, उसको भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये लोग दिल्ली हाई कोर्ट गए। उसके बाद इन्होंने कहा कि सारे पैसे नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में ट्रांसफर करने चाहिए। कोर्ट ने उसमें डिटेल्ड जजमेंट दी है कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में राज्य और केन्द्र का पैसा जाता है और इसमें पीएम केयर्स फंड में कंसोलिडेटेड फंड का कोई पैसा नहीं जाता, कोई बजटरी सपोर्ट नहीं जाती। स्वैच्छिक निधि से जो लोग, जनता पैसा देती है, वह पैसा इसमें आता है। केन्द्र सरकार का कोई पैसा इसमें नहीं गया है। हम सांसदों ने पैसा दिया होगा, गरीब से गरीब व्यक्ति ने पैसा दिया।

सर, मुझे दुःख इस बात का होता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति ने तो इसमें अपना योगदान दिया, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि उनकी अच्छी सोच पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये केवल नरेन्द्र मोदी जी की सोच पर या प्रधानमंत्री जी की सोच पर प्रश्न खड़ा नहीं करते, ये हिन्दुस्तान की 138 करोड़ जनता की सोच पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। किन-किन लोगों ने योगदान दिया, मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूँ।

सर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की 9 साल की अनुष्का और 6 साल के युवराज ने अपनी गुल्लक तोड़कर 700 रुपये में से 300 रुपये का इसके लिए योगदान दिया है। बच्चों ने पैसा दिया है। अगला, कानपुर के किदवई नगर में बच्चों ने मजदूरों के लिए गुल्लक तोड़कर 5,855 रुपये पीएम केयर्स फंड के लिए दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की 10 साल की बेटी सुहानी ने 4,091 रुपये पीएम केयर्स फंड के लिए दिए हैं। बीड की रहने वाली एक रिटायर टीचर ने 5 लाख रुपये पीएम केयर्स फंड में दिए हैं।... (व्यवधान)

सर, अगर योगदान देने वालों के लिए भी, जिन बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़कर पैसा दिया, उनका नाम सुनने के लिए भी ये राजी नहीं हैं तो इस सोच के ऊपर...* आनी चाहिए।... (व्यवधान) उत्तराखंड की अगस्तमुनि की 80 साल की वीरांगना दर्शनी देवी जी 10 किलोमीटर पैदल चलकर बैंक आयीं और अपने जीवन भर की पेंशन 2 लाख रुपये पीएम केयर्स फंड में दे दी। दिल्ली के जय प्रकाश नगर के 82 वर्ष के महेन्द्र सिंह ने एक लाख रुपया पीएम केयर्स फंड के लिए दे दिया। उत्तराखंड के गोचर की 60 साल की देवकी भंडारी ने 10 लाख रुपये पीएम केयर्स फंड में दिए।... (व्यवधान)

सर, नेता हो, अभिनेता हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, सांसद हो या विधायक हो, हर किसी ने अपनी तरफ से देने का प्रयास है, क्योंकि यह लड़ाई देश की लड़ाई थी और इस लड़ाई में प्रधान मंत्री मोदी जी ने पीएम केयर्स फंड की स्थापना करने का काम किया ।...(व्यवधान)

सर, अभी इसमें मुझे बहुत कुछ कहना है ।...(व्यवधान) इनका असली चेहरा तो दिखाना बाकी है ।...(व्यवधान) सर, इसमें कम से कम आधे घंटे का समय तो चाहिए होगा ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, आप बिल की फुल डिबेट के समय बोलिएगा ।

...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, इनका उत्तर तो देना पड़ेगा । सर, आप यह कह दीजिए कि या तो अभी मुझे विस्तार से अपनी बात रखने का मौका दीजिए या फिर चर्चा के समय मुझे अपनी पूरी बात रखने का अवसर मिलेगा ।

माननीय अध्यक्ष : चर्चा के समय आपको पूरा मौका मिलेगा ।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जब ये चर्चा करने आएंगे, मेरा विपक्ष के लोगों से अनुरोध रहेगा कि कृपया करके प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड को पढ़कर आएंगे ।...(व्यवधान) 1948 में शाही हुक्म की तरह उस समय के प्रधान मंत्री नेहरू जी ने कह दिया कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड बना दो ।...(व्यवधान) 1948 से लेकर आज तक उसकी रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो पाई ।...(व्यवधान) सर, 1948 से आज तक उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई ।...(व्यवधान) कैसे उसको एफसीआरए क्लियरेंस मिली, कैसे उसको 12(ए) की रजिस्ट्रेशन बगैर ट्रस्ट के मिली?... (व्यवधान) सर, ट्रस्ट रजिस्टर नहीं है, ट्रस्ट डीड नहीं है ।... (व्यवधान) आपने सैक्शन 12(ए) में उसे कैसे रजिस्टर किया? आपने उसको एटीजी की एग्जम्पशन कैसे दी? एफसीआरए की क्लियरेंस आपने उसको कैसे दी? ... (व्यवधान) यह मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ ।...(व्यवधान) हमारे यहाँ पर पीएम केयर्स संवैधानिक रूप से एक रजिस्टर्ड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है ।...(व्यवधान) मैं विपक्ष को खुली चुनौती देता हूँ कि किसी भी मुद्दे पर चर्चा कर लें, यह संवैधानिक रूप से पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है ।...(व्यवधान) यह हिन्दुस्तान की 138 करोड़ जनता

के लिए है ।...(व्यवधान) ... *... (व्यवधान) प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड में... * ये लोग उसके सदस्य रहे ।...(व्यवधान) इसकी विस्तार से चर्चा होनी चाहिए ।... (व्यवधान) दूध का दूध और पानी का पानी हो ।...(व्यवधान) इसके ऊपर देश को आपका असली चेहरा नजर आना चाहिए ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि कतिपय अधिनियमों के उपबंधों पर और छूट देने और उनका संशोधन करने वाले तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, विधेयक को पुरःस्थापित कीजिए ।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी(बहरामपुर): महोदय, ये नाम हटाए जाएं ।...(व्यवधान) यह क्या हो रहा है? ...(व्यवधान) यह ठीक नहीं है ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हम देख लेंगे ।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, आप बताइए कि क्या यह इंट्रोडक्शन की चर्चा है? ...(व्यवधान) हम लोगों ने कुछ नहीं कहा है ।...(व्यवधान)

सर, ... * ... (व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : सर, मैं कहता हूँ कि ... * का पूरा नाम लेना चाहिए ।... (व्यवधान)

सर, मैं अधीर रंजन चौधरी जी से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ ।... (व्यवधान) इस पर पूरे ... * का नाम लेना चाहिए क्योंकि आज तक देश की जनता को गुमराह करके, अलग-अलग चैरिटेबल ट्रस्ट में पैसे लेकर आपने व्यक्तिगत लाभ उठाने का काम किया है । उसको हम पर्दाफाश करके छोड़ेंगे ।... (व्यवधान) ये ... * ने देश के साथ खिलवाड़ किया है ।... (व्यवधान) इसका 'दूध का दूध, पानी का पानी' करेंगे ।... (व्यवधान) आपका एक-एक चिट्ठा यहां पर निकाला जाएगा ।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, ये ऐसा कैसे बोल रहे हैं? ऐसे नहीं चलेगा ।... (व्यवधान)

-

15.36 hrs

(At this stage Shri Adhir Ranjan Chowdhury and some other hon. Members left the House.)

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ।

... (व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण: सर, अगर आपकी अनुमति हो तो बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं एक शब्द बोलना चाहूंगी ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज, बैठ जाइए ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कल्याण जी, बैठ जाइए ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अनुराग जी, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कल्याण जी, बैठ जाइए ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, प्लीज, बैठ जाइए ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, चाहे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हों, चाहे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य हों, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्लीज बैठिए ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सभी माननीय सदस्य, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों, प्रतिपक्ष के हों, चाहे माननीय मंत्रीगण हों, कोई भी माननीय सदस्य अगर उठकर बोलने का प्रयास करेंगे तो मैं उनका नाम लेकर सदन से बाहर निकालने की कार्रवाई करूंगा।

मेरे लिए सबसे पहले सभी माननीय सदस्यों की सुरक्षा आवश्यक है और ये सारे इंतजाम भी, जो आप विशेष परिस्थितियों के अंदर कठिनाई उठाकर यहाँ पर बैठे हैं। मैं जानता हूँ कि आपको बहुत परेशानी है, लेकिन सबकी सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए हैं। शीट लगाई गई है, ताकि माननीय सदस्य बैठकर बोलें। अगर हम मास्क खोलकर बोलने लगेंगे तो इसे सारा देश देखेगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: दादा, एक मिनट रुकिए। मैं सभी को मौका दूँगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको बोलने के लिए मौका दूँगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: हम सब को पूरा देश अनुसरण करता है। अगर अनुसरण करते हैं तो सारा देश भी हमको देख रहा है। सारे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पर है। हम सब को इस देश को सुरक्षित रखना है, इसलिए हम सब माननीय हैं। हम सब अपने-अपने क्षेत्र के 15 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपकी बात का मैं हमेशा आदर करता हूँ। मैं आपको पर्याप्त अवसर भी देता हूँ। कोई भी माननीय सदस्य हो, चाहे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हो, चाहे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य हो।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप मास्क लगाकर बोलिए ।

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): सुनिए साहब, जब से हाउस स्टार्ट हुआ है, हम लोग चुपचाप बैठकर आपकी बात सुन रहे हैं ।...(व्यवधान) लेकिन, बीजेपी का कोई मेम्बर हम लोगों के लिए बोलेगा, आप उन लोगों के लिए कुछ नहीं बोलेंगे...(व्यवधान) जब हम लोग कुछ बोलेंगे तो आप हमें बोलेंगे, यह नहीं चलेगा ।...(व्यवधान) इसे हम चलने नहीं देंगे,...(व्यवधान) लोग क्या सोचते हैं? ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज, आप अपनी बात कहें और संयम में बोला करें ।

...(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी: साहब, आप सुनिए । ...(व्यवधान) आप हमारा नाम लेकर सस्पेंड कर दीजिए, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ... * यह नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा । इसे हम चलने नहीं देंगे, लोग क्या सोचते हैं?

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, शांति बनाए रखें । मैंने उन माननीय सदस्यों को भी कहा, जो खड़े हुए थे । मैंने माननीय मंत्री जी को भी कहा । मैंने किसी सदस्य को अलग-अलग भाषा में नहीं कहा । जो भी माननीय सदस्य खड़े हैं, चाहे इधर से खड़े हो, चाहे उधर से खड़े हो, चाहे सदस्य हो, चाहे माननीय मंत्री हो, मैंने सबको कहा ।

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, आज बिजनेस कैसे शुरू हुआ, टैक्सेशन बिल पर इंट्रोडक्शन के लिए शुरू हुआ । कानून के मुताबिक हम लोगों ने अपोज़ किया । आपने हमें बोलने के लिए इजाजत दी ।

सर, हमारी बात को रिकॉर्ड से निकाल कर देखिए । एक भी ऐसी बात नहीं हुई, जो अनकंस्टिट्यूशनल है या अनपार्लियामेन्ट्री है, आप एक लफ़्ज़ दिखा दीजिए । मैडम निर्मला सीतारमण जी बड़े अच्छे ढंग से जवाब दे रही थीं और हम सब भी उनकी सारी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे । वह बहुत अच्छी लेडी हैं और हम सब उनका सम्मान भी करते हैं ।

सर, इसी बीच में वह हिमाचल का ... * कहाँ से आ गया । ... * बीच में कहाँ से आ गया और आकर सारे बाजार को खराब कर दिया ।...(व्यवधान) इन्होंने आकर सारे बाजार को खराब कर दिया ।

सर, इस चर्चा में ...** कहाँ से आ गए, इस चर्चा में ...** को लाने की क्या जरूरत थी? आप हमें बताइए । हम लोगों ने कभी कहा कि पी.एम. केयर्स फंड में नरेन्द्र मोदी ... * करते हैं, चीन के फंड से पैसा लेते हैं, वसूली करते हैं । हमने कभी पी.एम. नरेन्द्र मोदी जी का एक लफ़्ज़ उच्चारण किया है, नहीं किया है । उन्होंने ...* जी का नाम कैसे ले लिया? नेहरू जी जब इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम का जिक्र करके किसका अपमान करना चाहते हैं?

सर, ये लोग आपके चेयर की गरिमा को नष्ट करना चाहते हैं । आपके चेयर की गरिमा को बचाना हम सब का फर्ज है । यहाँ राजनाथ सिंह जी भी है । राजनाथ सिंह जी आप कहिए, क्या हम लोगों ने कोई गलती की । ये आपके तीन दिन के ...** ने गलती की, यह आप बताइए ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बैठ जाइए ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बैठकर बोलिए ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बैठकर बोलिए ।

...(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी : आप हमको निकाल दीजिए ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठकर बोलिए ।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बैठकर बोलिए ।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट, माननीय सदस्यगण ।

(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट क्या?

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, एक मिनट ।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्लीज ।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो, प्लीज बैठिए । क्या हो गया है यह?

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं ऐसा नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी : बाहर कर दीजिए हमको । (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्लीज ।

(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : अध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट ।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय संसदीय कार्य मंत्री ।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक सेकंड रुक जाइए ।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज अब डिबेट न करें । बहुत हो गया ।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बहुत डिबेट हो गई ।

(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : अध्यक्ष महोदय, पहले दिन से हम आपका समर्थन कर रहे हैं, सरकार का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अनपार्लियामेंट्री, अपमाननीय शब्द के लिए हम यहां नहीं आए हैं । मंत्री महोदय क्षमा मांगे । जिस प्रकार से बोला (व्यवधान) क्षमा मांगे । (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठिए ।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट ।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप चुपचाप बैठिए ।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिए ।

(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी : (व्यवधान) आपको सुनना होगा । (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठकर बोलें ।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर आसन के कहने के बाद भी आप इस तरीके से व्यक्तिगत रूप से इस तरह चलाएंगे, तो सदन आपके कंट्रोल में चलने वाला नहीं है । मैं इस तरीके से न सदन चलाने का आदी हूँ और न सदन चलाऊंगा ।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं है । मैं आप सभी को पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर देता हूँ । न मैं इधर की आंखों में अंतर समझता हूँ और न उधर की आंखों में अंतर समझता हूँ । कोई माननीय सदस्य कभी आसन से नहीं कह सकता कि मैंने केवल एक तरफ के पक्ष या दूसरी तरफ के पक्ष को बैठने के लिए कहा हो ।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट ।

(व्यवधान)

श्री मोहन एस. देलकर (दादरा और नागर हवेली): अध्यक्ष महोदय, आपने सभी को बराबर मौका दिया है । हम आपके सपोर्ट में हैं । (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुझे किसी के कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है ।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :मेरी जिम्मेदारी बनती है कि सदन सुरक्षा की दृष्टि से चले और व्यक्तिशः रूप से भी आपसे मैंने कई बार चर्चा की है । सारे व्यापक इंतजाम के लिए भी हमने एक बार, दो बार डिटेल चर्चा की है । मैं चाहूंगा कि सदन के सभी माननीय सदस्य इस आचार संहिता को बनाए रखें तो उचित होगा । अगर आप इस तरीके की आचार संहिता को तोड़ना चाहते हैं तो हम बैठकर चर्चा कर लेते हैं । मैं आपसे अभी बैठकर चर्चा कर लूंगा ।

मैं सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित करता हूँ ।

15.50 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twenty Minutes past Sixteen of the Clock.

16.20 hrs

The Lok Sabha reassembled at Twenty Minutes past Sixteen of the Clock.

(Shrimati Rama Devi in the Chair)

TAXATION AND OTHER LAWS (RELAXATION AND AMENDMENT OF CERTAIN PROVISIONS) BILL, 2020 Contd.

माननीय सभापति : माननीय वित्त मंत्री जी, विधेयक को पुरःस्थापित कीजिए ।

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN) : Madam, I rise to introduce@ the Bill.

-

-

16.21 hrs